

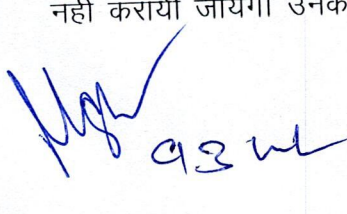
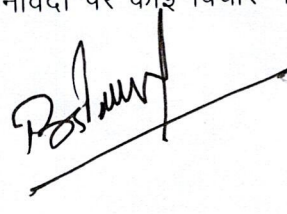
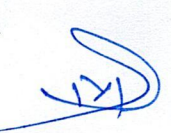
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के परीक्षा कार्यों/अन्य कार्यों के लिये आवश्यक दिवसों हेतु दैनिक किराये के आधार पर वाहन लिये जाने हेतु निविदा सूचना

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के परीक्षा कार्यों/अन्य कार्यों के लिये आवश्यक दिवसों हेतु दैनिक किराये के आधार पर वाहनों की आपूर्ति हेतु किराये पर वाहन की आपूर्ति कराने वाली सेवा प्रदाता एजेन्सियों से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार दो निविदा प्रणाली के तहत दिनांक 21.11.2025 से दिनांक 15.12.2025 तक उत्तराखण्ड राज्य के Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 15.12.2025 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदादाओं के सम्मुख विश्वविद्यालय की गठित कय समिति द्वारा खोला जायेगा। किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश घोषित होने पर उक्त निविदा उसके अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी ई-निविदा सूचना निम्न प्रकार है-

क.स.	ई-निविदा विवरण	दिनांक	समय
1-	ई-निविदा प्रपत्र की निविदा वैबसाइट पर उपलब्धता की तिथि	21.11.2025	1.00 बजे अपरान्ह
2-	ई-निविदा तकनीकी/वित्तीय बिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	27.11.2025	5.30 बजे अपरान्ह
3-	ई-निविदा तकनीकी बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	15.12.2025	11.00 बजे पूर्वान्ह
4-	ई-निविदा वित्तीय बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	15.12.2025	11.00 बजे पूर्वान्ह
5-	निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि	15.12.2025	11.30 बजे पूर्वान्ह
6-	ई-निविदा की वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	तकनीकी निविदा पूर्ण होने के उपरान्त पोर्टल में अपलोड कर समस्त सफल निविदाओं को सूचित किया जायेगा।	
7-	प्री- बिड मिटिंग की तिथि	26.11.2025	11.30 बजे पूर्वान्ह

उक्त निविदाएँ दिनांक 15.12.2025 के समय 11.00 बजे पूर्वान्ह तक पोर्टल में अपलोड की जा सकती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा निविदायें सम्बन्धित पोर्टल में दो भागों में अपलोड की जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा तत्पश्चात वित्तीय निविदा सम्बन्धित पोर्टल में अपलोड करनी होगी। निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय दोनों निविदायें दिनांक 15.12.2025 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक उक्त पोर्टल में अनिवार्य रूप में अपलोड करनी होगी। निविदादाता को तकनीकी निविदा पृष्ठ संख्या-02 से 03 में अंकित तकनीकी निविदा की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता को पृष्ठ संख्या 03 में अंकित शर्तों के अनुसार वित्तीय निविदा केवल ऑनलाईन माध्यम से उक्त पोर्टल में अपलोड करनी होगी। निविदा प्रपत्र का शुल्क रु0 500=00 (रुपये पाँच सौ)+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित निर्धारित है, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क वित्त अधिकारी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो नैनीताल स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से देय हो, के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा या विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर में जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के उपरान्त विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.kunainital.ac.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क जमा के साक्ष्य के रूप में बैंक ड्राफ्ट या विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर की जमा रसीद की प्रति तकनीकी निविदा के साथ पोर्टल में अपलोड करनी होगी तथा मूल प्रति तकनीकी निविदा के लिफाफे में निविदा के साथ संलग्न कर इस कार्यालय में जमा करनी होगी जिन निविदादाओं द्वारा तकनीकी निविदा के साथ शुल्क की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करायी जायेगी उनकी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(1)

दैनिक किराये के आधार पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण

विश्वविद्यालय को परीक्षा कार्यों एवं अन्य कार्यों हेतु निम्न प्रकार के वाहनों की आवश्यकता है :-

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	वाहनों की अनुमानित संख्या
1	सवारी वाहन 6+1 सीटर (महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बुलेरो या इसी प्रकार के अन्य वाहन)	02
2	मारुति अर्टिगा या इसी प्रकार के अन्य वाहन	02
3	कार (मारुती डिजायर या इसी प्रकार की अन्य कारें)	02
4	मारुति आल्टो कार या इसी प्रकार के अन्य छोटे वाहन	01
5	टोयटा इनोवा क्रिस्टा	01
6	पिकअप सिंगल कैबिन	02

उक्त समस्त वाहनों का मेक मॉडल निविदा खुलने की तिथि से 03 वर्ष पूर्व का नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता एजेन्सी के पास उक्त समस्त प्रकार के वाहनों की उपलब्धता आवश्यक होनी चाहिए। यहाँ स्पष्ट करना है कि विश्वविद्यालय को उक्त किसी भी वाहन की नियमित रूप से आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय की आवश्यकता होने पर ही आवश्यक दिवसों के लिये वाहन किराये पर लिये जायेंगे।

ऑनलाईन तकनीकी निविदा की शर्तें-

तकनीकी निविदा की निम्नलिखित शर्तों के क्र०सं०-01 से 13 में वर्णित अभिलेख उक्त पोर्टल में तकनीकी बिड में ऑनलाईन अपलोड करना होगा। तकनीकी निविदा की शर्तों के क्र०सं०-04, 05, 06 में वर्णित अभिलेखों को ऑनलाईन तकनीकी बिड में अपलोड करना होगा तथा इनकी मूल प्रति ऑफलाईन माध्यम से एक लिफाफे में रखकर तकनीकी निविदा का मुहरबन्द लिफाफा दिनांक 15.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक कार्यालय कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा करना होगा। डाक से तकनीकी निविदा प्रेषित करने वाले निविदादाता निविदा इस प्रकार प्रेषित करे कि वह दिनांक 15.12.2025 के 11.00 बजे पूर्वान्ह तक कुलसचिव कार्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कार्यालय में प्राप्त हो जाये। लिफाफे के बाहर "दैनिक किराये पर वाहनों की आपूर्ति हेतु निविदा" लिखना अनिवार्य होगा।

- 01- स्थायी आयकर खाता संख्या (PAN) कार्ड की प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 02- GST के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 03- निविदादाता के 03 Assessment year 2023-24, 2024-2025, 2025-26 के आयकर रिटर्न की प्रति निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड करनी आवश्यक होगी।
- 04- निविदा प्रपत्र के शुल्क की रसीद/ड्राफ्ट तकनीकी बिड में अपलोड करना आवश्यक होगा तथा उसकी मूल प्रति तकनीकी लिफाफे में रखकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
- 05- धरोहर की धनराशि रु० 15,000=00 (रुपये पन्द्रह हजार) निर्धारित है। निविदादाता से निर्धारित धरोहर धनराशि सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार की जायेगी, जो वित्त नियन्त्रक, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बन्धक होना चाहिए तथा जो किसी वाणिज्यिक बैंक से निर्गत हो तथा शाखा नैनीताल में देय होनी चाहिए। धरोहर राशि जो सावधि के रूप में हो, निर्धारित पोर्टल में तकनीकी बिड में अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूल प्रति तकनीकी लिफाफे में रखकर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। धरोहर राशि निविदा की तिथि के पश्चात् कम से कम 03 (तीन) माह के लिये वैध होनी चाहिए। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि विश्वविद्यालय में जमा रहेगी, एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा को वापस लेने अथवा सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

- 06- निविदादाता को निम्नलिखित तथ्यों का रू0 100=00 (रुपये एक सौ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा -
- क- निविदा में दर्शायी गई समस्त सूचनाएँ प्रत्येक दशा में सत्य हैं और ऐसी कोई सूचना, जो देना आवश्यक है, छिपाई नहीं गयी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा जो भी विधिक कार्यवाही की जायेगी वह निविदादाता को मान्य होगी।
- ख- किसी भी सरकारी विभाग/राज्य सरकार में किसी भी प्रकार का विधिक वाद गतिमान नहीं है और न ही प्रस्तावित है।
- ग- फर्म को विगत 05 वर्षों में किसी भी राजकीय कार्यालय/स्वायत्त संस्थान/राजकीय एवं स्वायत्त संस्थान के अधीन किसी भी कार्यालय द्वारा न ही काली सूची में दर्ज किया गया है और न ही उसकी सुरक्षा धनराशि को जब्त की गयी है।
- 07- निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में रुपये 20.00 लाख का औसत वार्षिक टर्न ओवर अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा टर्न ओवर की प्रति पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
- 08- निविदादाता के स्वामित्व में उपरोक्त उल्लेखित वाहनों में से कोई 02 वाहन होने अनिवार्य है। निविदादाता को साक्ष्य के रूप में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत वाहन पंजीकरण की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 09- निविदादाता को अपने स्वामित्व के 02 वाहनों के बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा। वाहन बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट निविदा खुलने की तिथि को वैध होने चाहिए।
- 10- निविदादाता द्वारा संलग्नक-01 में वाहनों का विवरण पोर्टल में तकनीकी निविदा में अपलोड करना होगा।
- 11- निविदादाता को जी0एस0टी0 सम्बन्धित अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) तथा समस्त जी0एस0टी0 सम्बन्धित रिटर्न (Return) जमा होने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पोर्टल में अपलोड करना होगा। निविदादाता उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत होने की दशा में सन्दर्भित प्रमाण पत्र उस राज्य क्षेत्राधिकारी कर प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जहाँ आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है। आपूर्तिकर्ता के केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन होने पर सन्दर्भित प्रमाण पत्र ऐसे राज्य क्षेत्राधिकार कर अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जिसके भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत उक्त केन्द्रीय कर प्रशासित आपूर्तिकर्ता अवस्थित है। उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकृत होने की दशा में सन्दर्भित प्रमाण पत्र उस क्षेत्राधिकार कर प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जहाँ आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है। अदेय प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का निर्गत होना चाहिए।
- 12- पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र।
- 13- संलग्नक-02 में चैक लिस्ट पूर्ण रूप से भरी हुई पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

वित्तीय निविदा की शर्तें

- 1- जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा सफल होगी केवल उन्हीं की वित्तीय निविदा द्वितीय चरण में खोली जायेगी।
- 2- वित्तीय निविदा केवल उक्त पोर्टल में ही अपलोड की जायेगी। उक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य माध्यम से दी गयी दरें स्वीकार नहीं होगी।
- 3- निविदा दर में वाहन के दैनिक किराये की दर रूपयों में, जी0एस0टी0 की दर प्रतिशत में, पर्वतीय मार्गों में प्रति किमी0 ईंधन व्यय की राशि रूपयों में, मैदानी मार्गों में प्रति किमी0 ईंधन व्यय की राशि रूपयों में, रात्रि विश्राम की दर रूपयों में पृथक-पृथक अंकित करनी होगी।
- 4- निविदा समस्त वाहनों की दरों को जोड़कर न्यूनतम दर (L-1) के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। वाहन के दैनिक किराये की राशि, पर्वतीय मार्गों में प्रति किमी0 ईंधन व्यय की राशि, मैदानी मार्गों में प्रति किमी0 ईंधन व्यय की राशि, रात्रि विश्राम की दर को जोड़कर प्राप्त धनराशि न्यूनतम दर मानी जायेगी।

03

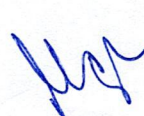
(3)

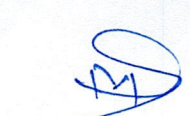
निविदा की अन्य शर्तें

- 1— सफल निविदादाता द्वारा वाहनों को कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संचालित किया जायेगा।
- 2— सफल निविदादाता द्वारा वाहन चालक का वेतन, बीमा, रोड टैक्स आदि से सम्बन्धित समस्त भुगतान स्वयं वहन किये जायेंगे एवं किन्हीं कारणों से वाहनों का चालान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी तथा चालान का भुगतान सफल निविदादाता स्वयं किया जायेगा। चालान जमा करने की प्रति विश्वविद्यालय में जमा की जायेगी।
- 3— वाहनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, टायर कय इत्यादि का व्यय सफल निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 4— सफल निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन को सदैव ही सुचारु रूप से सेवा प्रदान करने योग्य रखे।
- 5— यात्रा के दौरान वाहन खराब होने/मरम्मत के समय सफल निविदादाता द्वारा एक घण्टे की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। दूसरा वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा में विश्वविद्यालय वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत होगा तथा उस अवधि में लिये गये वाहन का वास्तविक किराया सम्बन्धित सेवा प्रदाता से पैनाल्टी के रूप में बिल में कटौती कर किया जायेगा।
- 6— यात्रा के दौरान वाहन में समस्त वैध प्रमाण पत्र, बीमा आदि की प्रति रखना अनिवार्य होगा।
- 7— यात्रा के समय वाहन में किसी प्रकार की क्षति की दशा में सफल निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8— किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप देय क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता को स्वयं करना होगा। इस उद्देश्य के लिये विश्वविद्यालय वाहन स्वामी के रूप में मान्य नहीं होगा। वाहन चालक अथवा किसी अन्य सहायक को होने वाली हानि का वहन भी सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
- 9— वाहनों द्वारा एक दिन में 250 किमी० से कम या 250 किमी० तक की यात्रा में एक दिन का किराया देय होगा। एक दिन में 250 किमी० से अधिक दूरी तय करने की दशा में दो दिनों का दैनिक किराया देय होगा, किन्तु रात्रि विश्राम की राशि देय नहीं होगी। यात्रा के समय चालक के भोजन पर होने वाले व्यय का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी।
- 10— सफल निविदादाता द्वारा केवल व्यावसायिक वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।
- 11— वाहन में नियमानुसार स्टैपनी, टूलकिट, फर्स्ट एण्ड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी।
- 12— पर्वतीय मार्गों के लिये चालक को हल्के वाहन का वैध व्यावसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिये।
- 13— सफल निविदादाता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो ताकि यात्रा के समय ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
- 14— यात्रा के समय चालक द्वारा यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

93m

(4)

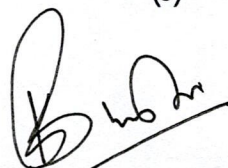





- 15- वाहन का प्रयोग आवश्यकतानुसार राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है। वाहन पर्वतीय एवं मैदानी दोनों क्षेत्रों में प्रयोग किये जायेगे।
- 16- वाहन में ईंधन की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन चालन की प्रविष्टि करते हुये उसे यात्रा करने वाले अधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।
- 17- सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग शुल्क आदि का भुगतान सफल निविदादाता द्वारा किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सफल निविदादाता को विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- 18- प्रातः वाहन को चालने की मीटर मीटिंग तथा सायं ड्यूटी समाप्ति की मीटर रीडिंग एवं दैनिक रूप से सायं/रात्रि वापस लौटने की मीटर रीडिंग के आधार पर भुगतान किया जायेगा तथा प्रातः व सायं मीटर रीडिंग नोट की जायेगी।
- 19- सम्बन्धित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे कुलपति जी के निर्णयार्थ (Arbitration) प्रस्तुत किया जायेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 20- विश्वविद्यालय को उक्त किसी भी वाहन की नियमित रूप से आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय की आवश्यकता होने पर ही आवश्यक दिवसों के लिये वाहन किराये पर लिये जायेगे।
- 21- निविदा के सम्बन्ध में किसी भी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।
- 22- सफल निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर विश्वविद्यालय के साथ रु0 100/- (रु0 एक सौ मात्र) के नॉन-ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर में कार्य अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध के समय सफल निविदादाता को अनुबन्ध राशि का 05 प्रतिशत धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में इस विश्वविद्यालय को जमा करना होगा। सफल निविदादाता से निर्धारित कार्यपूर्ति प्रतिभूति सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार की जायेगी, जो वित्त नियन्त्रक, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पदनाम से बन्धक होना चाहिए तथा जो किसी वाणिज्यिक बैंक से निर्गत हो तथा शाखा नैनीताल में देय होनी चाहिए। कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि निविदा की कार्य अवधि (निविदा समाप्त होने की तिथि) के पश्चात् कम से कम 60 (साठ) दिन बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
- 23- सफल निविदादाता द्वारा यदि अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पादन में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी कार्यपूर्ति धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 24- सफल निविदादाता द्वारा दर स्वीकृत होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिवसों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के साथ अनुबन्ध करना होगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध करने से इन्कार किया जाता है तो उसकी धरोहर की धनराशि विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में निविदादाता का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 25- सशर्त निविदा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगी।
- 26- आयकर सफल निविदादाता से शासनादेशानुसार वसूल किया जायेगा जो निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य के बिल से काटकर राजकीय पक्ष में जमा किया जायेगा।
- 27- सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित दिवसों में वाहन उपलब्ध न कराने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित बाजार दर से अन्य स्रोतों से वाहन किराये पर लिये जायेगे तथा ऐसे किराये की धनराशि सफल फर्म के बिलों से कटौती कर अन्य स्रोत के वाहन स्वामी को भुगतान की जायेगी।

(5)

03m

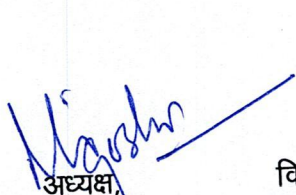




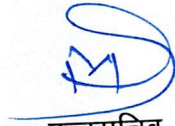


- 28- सफल फर्म द्वारा दैनिक किराये की राशि तथा ईंधन पर व्यय की राशि (प्रति किलोमीटर औसत ईंधन खपत के आधार पर) एवं जी0एस0टी की राशि जोड़कर बिल भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। बिल साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- 29- वाहन चालक का दायित्व होगा कि वह पिकअप में डुलान किये जाने वाली सामग्री को गन्तव्य स्थल तक सुरक्षित पहुँचाये। यात्रा के समय मार्ग में कोई दुर्घटना होने पर पिकअप में संरक्षित सामग्री क्षतिग्रस्त होने पर उसकी प्रतिपूर्ति सफल निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी।
- 30- सफल निविदादाता से किये जाने वाले अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31/03/2027 तक होगी। विशेष परिस्थितियों में अनुबन्ध की अवधि विस्तारित की जा सकती है।
- 31- अनुबन्ध अवधि में ईंधन के मूल्य, वाहन मरम्मत की लागत, टायरों के मूल्यों आदि में वृद्धि होने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा सफल निविदादाता को स्वीकृत दरों पर ही कार्य करना होगा।
- 32- सवारी वाहन, मारुति अर्टिगा या इसी प्रकार के अन्य वाहन, कार (मारुती डिजायर या टाटा इंडिगो या इसी प्रकार की अन्य कारें), टोयटा इनोवा क्रिस्टा वाहन ऑल इण्डिया परमिट के होने चाहिए।
- 33- सफल निविदादाता द्वारा अपने स्वामित्व के वाहनों के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित वाहनों को अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा।
- 34- कार्य दिवस से पूर्व चालक को वाहन के समस्त वैध प्रपत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- 35- सफल निविदादाता द्वारा जो भी वाहन विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा उसका मेक मॉडल 02 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- 36- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

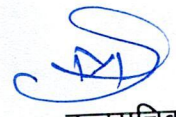
a3m


अध्यक्ष,
कय समिति


वित्त नियन्त्रक,
कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।


कुलसचिव,
कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।

- संख्या / सामान्य/ स्टोर/ सा0/ पीईआर/ 24 दिनांक 20 नवम्बर , 2025
- प्रतिलिपि :- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1 :- वित्त नियन्त्रक, कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।
 - 2 :- निविदा समिति के समस्त सदस्य।
 - 3 :- कैश काउन्टर सहायक, कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 4 :- निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
 - 5 :- पटल सहायक, कैश काउन्टर।
 - 6 :- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


कुलसचिव,
कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल।



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

विश्वविद्यालय के प्रयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यक दिवसों के लिये दैनिक किराये पर
लिये जाने वाले वाहनों की निविदा हेतु निविदा प्रपत्र

- 1- निविदादाता का नाम-
- 2- निविदादाता का पता-
- 3- निविदादाता की फर्म का नाम यदि कोई हो.....
- 4- निविदादाता की फर्म का पता यदि कोई हो.....
- 5- निविदादाता को मोबाइल नं०
- 6- ई मेल आईडी0

निविदादाता

अपना फोटो

चिपकाएँ

निविदादाता के हस्ताक्षर

दैनिक किराये के आधार पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	वाहन का विवरण (वाहन का मेक एवं मॉडल)
1	सवारी वाहन 6+1 सीटर (महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बुलेरो या इसी प्रकार के अन्य वाहन)	1-
		2-
2	मारुति अर्टिगा या इसी प्रकार के अन्य वाहन	1-
		2-
3	कार (मारुती डिजायर या इसी प्रकार की अन्य कारें)	1-
		2-
4	मारुति आल्टो या इसी प्रकार के अन्य छोटे वाहन	1-
5	टोयटा इनोवा क्रिस्टा	1-
6	पिकअप सिंगल कैबिन	1-
		2-

निविदादाता के हस्ताक्षर

कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल
(चैक लिस्ट)

क्रम सं०	प्रपत्रों का विवरण	प्रपत्र संलग्न है अथवा नहीं
1	पैन कार्ड की प्रति	
2	जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
3	Assessment year 2023-24, 2024-25, 2025-26 के आयकर रिटर्न की प्रति	
4	निविदा प्रपत्र के शुल्क की रसीद/ड्राफ्ट	
5	धरोहर राशि	
6	रु० 100=00 (रुपये एक सौ) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर	
7	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का टर्न ओवर	
8	स्वयं के वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	
9	स्वयं के वाहनों के बीमा की प्रति	
10	स्वयं के वाहनों के रोड टैक्स जमा की प्रति	
11	स्वयं के वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति	
12	स्वयं के वाहनों के परमिट की प्रति	
13	संलग्नक-01 पूर्ण रूप से भरा हुआ	
14	जी०एस०टी० अदेय प्रमाण पत्र की प्रति	
15	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र	
16	चैक लिस्ट	

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करने के उपरान्त तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दी गयी है एवं मुझे सभी नियम एवं शर्त स्वीकार है। जिसका पालन करने के लिये मैं बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

निविदादाता का वर्तमान पता

निविदादाता का स्थायी पता

निविदादाता का मोबाइल नम्बर

निविदादाता का ई-मेल आईडी